मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

कमांक / म.प्र.(मुख्या) / 13 / कैडर / प्रसं / 2979 **दिनांक : 22 / 03 / 2026**

/ / आदेश / /

(मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के सेवायुक्त के (सेवायुक्तो के नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) सेवानियम कमांक 52.1.1 के तहत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के आदेश कमांक / साख / सीबी–2 / 2026 / 29, दिनांक 06.01.2026 के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के अंतर्गत बी. आर. एक्ट 1949 की धारा 35 के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी के किए गये निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2025 में प्रतिवेदित गंभीर आपत्तियों के फलस्वरूप बैंक की लेखापुस्तिकाओं का निरिक्षण करने हेतु प्रभारी उपायुक्त सहकारिता जिला विदिशा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, उक्त आदेश में श्री पी.एस. धनवाल, कैडर अधिकारी श्रेणी–। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच किया जाना भी आदेशित किया गया था। उक्त निरीक्षण आदेश में बैंक के कोर बैंकिग सल्यूशन में आकडों का मिलान न होना, बैंक की संचित हानि में वृद्धि होना, गबन धोखाधड़ी प्रकरणों में सक्षम कार्यवाहियां न होना, पैक्स के संधारित खातों में ब्याज दरों का समावेश न किया जाना आदि गंभीर विषय शामिल किये गये थे, इसी प्रकार श्री पी.एस. धनवाल के विरूद्ध कर्मचारियों को अवैध लाभ प्रदान किये जाने की शिकायतें भी उक्त निरीक्षण आदेश में जांच हेतु शामिल की गयी थी।

उक्त निरीक्षण दल के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीधी में प्रवास कर निरीक्षण हेतु अभिलेख चांहे गये, परन्तु श्री पी.एस. धनवाल के द्वारा निरीक्षण दल को अभिलेख प्रस्तुत न करते हुये निरीक्षण में असहयोग किया गया, जिसके कारण निरीक्षण दल प्रभारी के द्वारा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला विदिशा के पत्र कमांक / साख / 2026 / 69, दिनांक 29.01.2026 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता जिला रीवा को तदाशय की सूचना दिये जाने पर संयुक्त पंजीयक सहाकारी संस्थायें रीवा, संभाग रीवा के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के तहत श्री पी.एस. धनवाल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब चाहा गया। श्री धनवाल के द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपो की जांच हेतु लेखी में अभिलेख न दिये जाने हेतु दिनांक 23.01.2026 पत्र भी निरीक्षण दल को प्रस्तुत किया गया है।

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74(च) के तहत यह प्रावधान है कि कोई अधिकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत निरीक्षण हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को यदि जानबुझकर जानकारी एवं अभिलेख नहीं सौपता है एवं जांच में असहयोग करता है तो यह सहकारी अधिनियम के अधीन अपराध की श्रेणी में आता है।

श्री पी.एस. धनवाल, कैडर अधिकारी श्रेणी–। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी का उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है तथा उनका कृत्य पदीय कर्त्तव्यों के विरूद्ध है एवं श्री धनवाल सन्निष्ठ नहीं पाये गये है अतः श्री धनवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर, उनका मुख्यालय म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, प्रधान कार्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल निर्धारित किया जाता है। श्री धनवाल को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(मनोज कुमार गुप्ता)
प्रबंध संचालक

पृष्ठां.क.म.प्र.(मुख्या) / 13 / कैडर / प्रसं / 2979–अ **दिनांक : 22.03.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर / प्रशासक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी कृपया मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार आगामी आदेश तक जिला बैंक के वरिष्ठ सह योग्य अधिकारी को सौंपे जाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आयुक्त सहकारिता, रीवा(म.प्र.)।
6. उप / सहायक आयुक्त सहकारिता, सीधी / सिंगरौली।
7. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी / उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक समस्त एवं समस्त कक्ष प्रधान, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय भोपाल।
8. प्राचार्य, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज, भोपाल।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त म.प्र।
10. शाखा प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समस्त शाखाएं, म.प्र.।
11. श्री पी.एस. धनवाल, कैडर अधिकारी श्रेणी–। एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीधी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. निज सचिव प्रशासक, शीर्ष बैंक, भोपाल के अवलोकनार्थ।
13. निज सचिव, प्रभारी प्रबंध संचालक, शीर्ष बैंक भोपाल के सूचनार्थ।
14. आदेश नस्ती।
15. व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध संचालक